

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--	--	---

6/2/26 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उमय पक्ष उपस्थित है। आज ग्रामा
उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है।
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलैन्स पर है। अत
शुक्रवाली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 4.3.26 को पेश हो
य

4/2/26 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उमय पक्ष उपस्थित है। आज ग्रामा
उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है।
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलैन्स पर है। अत
शुक्रवाली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 1.1.3.26 को पेश हो। अप्रार्थीगण वी भोरलें
3 जवाब प्रा. पत्र पेरा उभा। फ
य

11/3/26 पत्रावली पेश हुई। पेटोकार सरकार ने उपस्थित होकर अंकित किया कि
तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि जोत में कितने हिस्से पर
किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप
से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया
है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के
सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया
है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के
तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये
गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व
भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है
अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम
निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र
प्रार्थी (तहसीलदार तालेडा) द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के
अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को
निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही
की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना
पत्र पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद
तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
य

8/4/26 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उमय पक्ष उपस्थित है। आज
उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रख
अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलैन्स पर है।
शुक्रवाली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 9.4.26 को पेश हो
य

9/4/26 पत्रावली पेश हुई। पेटोकार सरकार ने उपस्थित होकर अंकित किया कि
तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि जोत में कितने हिस्से पर
किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप
से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया
है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के
सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया
है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के
तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये
गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व
भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है
अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम
निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र
प्रार्थी (तहसीलदार तालेडा) द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के
अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को
निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही
की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना
पत्र पेश किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद
तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
य